

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1533/2025

गोपाल लाल जाखड़

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, पंत कृषि भवन, वानिकी मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. कमलेश बैरवा, कृषि पर्यवेक्षक, मु. Ladmka, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, डीग।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2025

आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय राजोली, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्यालय लाडमका संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परि. डीग किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसका स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा किया गया था और एक वर्ष से कम की अल्पावधि में ही पुनः स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी के माता-पिता वृद्ध हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी

देखभाल के लिये अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में मुख्यालय राजोली जिला दौसा में कार्यरत है और अनुलग्नक-1 के द्वारा उसका स्थानांतरण मुख्यालय लाडमका डीग किया गया है। अनुलग्नक-4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के माता-पिता गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनका उपचार चल रहा है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10723/2024 बलराज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.10.2024 को परिपत्र जारी कर समस्त विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में अभ्यावेदन का निस्तारण कर आदेश जारी करें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप-6) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 08.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी का अभ्यावेदन संबंधित विभाग

द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त दिवस से अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं अभ्यावेदन निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)